A17
(

08
2015

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉं, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 08 / 15

राकेश कुमार पुत्र श्री रायसिंह जाति जाट निवासी 3 क्यू दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

वनाम

1. नत्थुराम पुत्र श्री पूर्णराम जाति सुथार निवासी 3 क्यू दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच, ग्राम पंचातय, दौलतपुरा.

अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 5–7–04, पट्टा भूखण्ड सं0 158 दिनांक 7–7–04 ग्राम पंचायत दौलतपुरा प0सं0 श्रीगंगानगर।

उपस्थित :

1. श्री राजकुमार नागपाल एवं श्री रामसिंह ढाका, अधिवक्तागण, निगरानीकर्तागण
2. श्री तेजासिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।

आदेश दिनांक : 13.02.2017

प्रस्तुत निगरानी के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सरपंच, ग्राम पंचायत, दौलतपुरा द्वारा दिनांक 7–7–04 को गली आम में 158 नं0 भूखण्ड को अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दो सौ रू0 कीमत दर्शा कर आवंटित कर दिया गया। जानकारी पर ज़ात हुआ कि चक 3 क्यू का प्लाट सं0 158 का जो प्लाट अप्रार्थी सं0 1 के नाम से आवंटित है, ग्राम पंचायत के रेकार्ड में प्रार्थी को सारा रेकार्ड दिखा दिया है, उसमें प्लाट नं0 158 का कोई पट्टा जारी नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा प्लाट सं0 158 का फर्जी पट्टा तैयार किया गया है, जिसकी आड़ में अप्रार्थी ने सार्वजनिक गली में अवैध रूप से निर्माण कर गली को अवरूद्व कर दिया है। ग्राम पंचायत को सार्वजनिक गुवाड़, जोहड़ पायतन व गली आम की भूमि को आवंटित करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार की अनुमति के विना , विना कानूनी प्रकिया अपनाये , बिना आवासीय परिवर्तन करवाये अप्रार्थी सं0 1 को आवंटन कर दिया है। ग्राम पंचायत दौलतपुरा के नक्शा में प्लाट सं0 158 को गली आम दिखाया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर प्लाट सं0 158 का पट्टा निरस्त किया जावे।

निगरानी से संवंधित रेकार्ड तलव किया गया। उभय पक्ष की वहस सुनी गई।

निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी वहस में कहा है कि सरपंच, ग्राम पंचायत, दौलतपुरा द्वारा दिनांक 7–7–04

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

को गली आम में 158 नं0 भूखण्ड को अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दो सौ रू0 कीमत जमा करवा कर अप्रार्थी सं01 को निगरानीकृत भूखण्ड का आवंटन कर दिया है। चक 3 क्यू का प्लाट सं0 158 का जो प्लाट अप्रार्थी सं0 1 के नाम से आवंटित है, को ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 2-3-15 के अनुसार " प्रार्थी को सारा रेकार्ड दिखा दिया है, उसमें प्लाट नं0 158 का कोई पट्टा जारी नहीं है "। ग्राम पंचायत द्वारा प्लाट सं0 158 का फर्जी पट्टा तैयार किया गया है, जिसकी आड़ में अप्रार्थी सं01 ने सार्वजनिक गली में अवैध रूप से निर्माण कर गली को अवरूद्ध कर दिया है। ग्राम पंचायत को सार्वजनिक गुवाड़, जोहड़ पायतन व गली आम की भूमि को आवंटित करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार की अनुमति के बिना , बिना कानूनी प्रकिया अपनाये , बिना आवासीय परिवर्तन करवाये अप्रार्थी सं0 1 को आवंटन कर दिया है। ग्राम पंचायत दौलतपुरा के नक्शा में प्लाट सं0 158 को गली आम दिखाया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर प्लाट सं0 158 का पट्टा निरस्त किया जावे। निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता ने अपने उपरोक्त तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है :-

1. 2015(1)डीएनजे (राज0) पेज 443
2. 2013(1)डीएनजे(राज0) पेज 177
3. 2015(2)डीएनजे(राज0) पेज 595

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि ग्राम पंचायत का आदेश विधिसम्मत् है। कानूनी प्रावधानों की पालना में पारित किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2004 में अप्रार्थी सं0 1 को पट्टा जारी किया गया है जबकि निगरानी मार्च, 2015 में 11 वर्ष के भारी विलम्ब के साथ पेश की गई है तथा विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः निगरानी देरी से पेश किये जाने के कारण खारिज होने योग्य है। सचिव ने पत्र दिनांक 2-3-15 द्वारा भूखण्ड सं0 158 का पट्टा जारी नहीं होना बताया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा संधारित की गई पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की गई है। अतः यह कहना कि रेकार्ड नहीं है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत का निगरानीकृत आदेश विधिसम्मत् है। अतः निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता ने जवाब में कहा कि राजस्थान पंचायतराज अधिनियम की धारा 97 में परिसीमा की अवधि निर्धारित नही है इसलिए निगरानी में धारा 5 के प्रावधान लागू नहीं होने से निगरानी को मियाद के बिंदु पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से निगरानीकृत भूखण्ड सं0 158 का पट्टा जो अप्रार्थी सं0 1 को जारी किया गया है, को निगरानी के माध्यम से निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है।

जहॉं तक निगरानीकृत भूखण्ड के आवंटन का प्रश्न है, ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये रेकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रस्ताव सं0 1 जो दिनांक 5-7-04 को पारित किया गया है, के अनुसार गत बैठक दिनांक

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

AI7
3

08/2015 — अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

05.06.2004 में प्रस्ताव संख्या 01 के अनुसार 98 व्यक्तियों को पट्टा जारी करने बाबत आपत्ति आमंत्रण नोटिस जारी किया गये थे जो दिनांक 05.07.2004 तक प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार विमर्श कर 200/– फीस लेकर व 10/– के स्टाम्प पर हलफनामा लेकर पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया तथा प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। दिनांक 05.06.2004 के प्रस्ताव संख्या 01 के क्रम संख्या 56 पर अप्रार्थी संख्या 01 का नाम अंकित है। जहां तक राशि जमा कराये जाने का प्रश्न है, ग्राम पंचायत के रोकड रजिस्टर दिनांक 07.07.2004 में रसीद संख्या 46 के द्वारा 200/– जमा होने की पुष्टि होती है।

ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 नत्थूराम को भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में पत्रावली का संधारण किया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रति फार्म नं. 03 के साथ अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें अप्रार्थी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत को चक 3 जी आबादी भूमि के प्लॉट संख्या 423 के सामने स्थित खाली प्लॉट, जिसमें कई सालों से उसका ही कब्जा है, का उसके नाम से पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 07.05.2004 को आदेशिका पारित कर आगामी बैठक में नजरी नक्शा पेश करने तथा पत्रावली खोलने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 20.05.2004 को तीन पंचों की कमेटी गठन करने कर आदेश पारित किया गया। दिनांक 05.06.2004 को कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अप्रार्थी का कब्जा करीब 25 वर्ष पुराना बताया गया तथा किसी प्रकार का विवाद न होने की अवस्था में आपत्तिया मांगे जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 07.04.2004 को कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सर्व सम्मति से पट्टा जारी करने का आदेश दिया गया। दिनांक 07.07.2004 को अप्रार्थी संख्या 01 नत्थूराम को निगरानीकृत भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया गया। इस प्रकार निगरानीकर्त्ता का यह कहना कि निगरानीकृत भूखण्ड से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पास रिकॉर्ड नहीं है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

जहां तक निगरानी दायर करने में हुई देरी का प्रश्न है, निगरानीकृत पट्टा दिनांक 07.07.2004 को ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 नत्थूराम को पट्टा जारी किया गया है जबकि निगरानीकर्त्ता द्वारा निगरानी 27 मार्च 2015 को लगभग 11 वर्ष के बाद दायर की गई है। इस अत्याधिक विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में आर आर डब्ल्यू 1999(3) राजस्थान पेज 1391 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि –

राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1953 धारा 27 क सपठित नियम 17 क राजस्थान पंचायत नियम एवं भारत का संविधान, अनुच्छेद 227 – नीलामी द्वारा भूमि का आवंटन– अपील नहीं की गई – छः वर्ष के विलम्ब के अंतराल के पश्चात पुनरीक्षण याचिका पेश– पुनरीक्षण हेतु परिसीमा अवधि निर्धारित नही– अभिनिर्धारित जहां पर परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं हो तो उस मामले में युक्ति संगत समयावधि में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिए– युक्तिसंगत समय की अवधि प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी – जो एक अथवा दो वर्ष तक हो सकती है पर छः वर्ष की अवधि का अन्तराल बहुत भारी विलम्ब है जो स्वयं में अस्पष्ट है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

AN
4

08
2015 - अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा छः वर्ष के विलम्ब की अवधि को बहुत भारी विलम्ब माना है जबकि हस्तगत निगरानी लगभग 11 वर्ष के भारी अन्तराल के बाद अत्याधिक विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है। मेरे विनम्र मत में इतने भारी अन्तराल से प्रस्तुत निगरानी के द्वारा अप्रार्थी को वर्ष 2004 में जारी पट्टे को निरस्त करने का विधिसम्मत औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानी देरी से पेश होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्त्ता की निगरानी लगभग 11 वर्ष के भारी अन्तराल के बाद अत्याधिक विलम्ब से पेश होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 13.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

13/2/17

(करतार सिंह पूनिया)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner